कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024 **दिनांक 06/05//2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 05.05.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01- थाना बिरनों पुलिस द्वारा मु0अ0स0 19/22 धारा 363/366/376 भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट में वांछित चल रहे 25000 का इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद के निकट पर्यवेक्षण में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 19/22 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व 5L/6 पाक्सो एक्ट में फरार चल रहे अभियुक्त अमित पाल उर्फ मंजीत पाल पुत्र रामकेर पाल निवासी ग्राम मैहर चकदाउद थाना बिरनों गाजीपुर के विरूध्द मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में धारा 82 व 83 द0प्र0स0 की कार्यवाही अमल में लायी गयी। लेकिन अभियुक्त न तो गिरफ्तार हुआ न ही मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ। तत्पश्चात अपहृता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर द्वारा 25000 का इनामिया घोषित किया गया। दिनांक 04.05.2024 को थानाध्यक्ष बिरनों मय मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर विश्वेशरगंज पुल से अभियुक्त अमित पाल उर्फ मंजीत पाल पुत्र रामकेर पाल निवासी ग्राम मैहर चकदाउद थाना बिरनों गाजीपुर को अपहृता/पीड़िता के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः- अमित पाल उर्फ मंजीत पाल पुत्र रामकेर पाल निवासी ग्राम मैहर चकदाउद थाना बिरनों गाजीपुर

गिरफ्तारी का दिनांक व समय व स्थान

दिनांक 04.05.2024 समय 21.10 बजे, गिरफ्तारी स्थल विश्वेशरगंज पुल गाजीपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 19/22 धारा 363/366/376 भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना बिरनो जनपद गाजीपुर
2.मु0अ0सं0 88/22 धारा 174क भा0द0वि0 थाना बिरनो गाजीपुर

2- **<u>थाना नोनहरा पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 05.05.2024 को मुखबीर खास की सूचना पर थानाध्यक्ष श्री कमलेश कुमार मय हमराह पारा चट्टी से आगे हरिजन बस्ती तिराहे के पास से अभियुक्त जियाउद्दीन कुरैशी पुत्र आजम कुरैशी निवासी ग्राम नोनहरा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 31 वर्ष को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय करीब 05.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

1. जियाउद्दीन कुरैशी पुत्र आजम कुरैशी निवासी ग्राम नोनहरा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर

<u>बरामदगीः-</u>

1. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर।
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0 50/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर।
2. मु0अ0सं0 154/22 धारा 302 भा0द0वि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर।
3. मु0अ0सं0 169/21 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर।
4. मु0अ0सं0 376/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर।
5. मु0अ0सं0 176/19 धारा 323/427/452/504/506 भा0द0वि0 थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर